

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार केम्प.....201

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)

गोपललाल इब्राहिम
नाम पीठासीन अधिकारी - श्री मोमलसिंह (आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा


प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि0 14-5-18
फैसल दि0 14-5-18

अनवान
श्री हरिश पिता कुरिआ बनाम श्री प्रदीप तहसीलदार
(वादी) वि. कडोला (प्रतिवादी) सागवाडा

वादी श्री हरिश पिता कुरिआ मीणा मीणा वाद प्रस्तुत कर
मोजा कडोला के खाता नम्बर 74 जमाबन्दी सं0 2072-75
में अंकित स्वयं/पिता का नाम हरजी / कुरिआ मीणा
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम
हरिश पिता कुरिआ मीणा है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम हरजी
पिता कुरिआ दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम हरिश / कुरिआ मीणा
वि. कडोला होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दसागवाडा/मलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा कडोला की जमाबन्दी संवत 2072-75
के खाता संख्या 74 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम हरजी / कुरिआ मीणा में संशोधन कर सही नाम
हरिश / कुरिआ दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा